फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

लच्छी बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा—136 एल.आर.ए. मु0नं0— 11/2025

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.2025	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 216, 235, 236, 250, 255 वाके ग्राम गुर्जर सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/18 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबंदी वर्तमान है। सह खातेदारान के रूप में लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व0 शंकर जो कि प्रार्थी के बचपन में बोलते हुए लक्ष्मी देवी के नाम से दर्ज हो गया था। जबकि प्रार्थीया का नाम दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम लच्छी देवी पत्नी स्व. शंकर है जो कि सही है। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर किया गया एवं प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीया के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रार्थीया द्वारा पेश दस्तावेजात यथा आधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थीया का नाम लच्छी देवी पत्नी शंकर दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में लक्ष्मी देवी दर्ज है इसलिए दस्तावेजात में दर्ज नाम अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि में प्रार्थीया का नाम लक्ष्मी देवी के स्थान पर लच्छी देवी दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	